बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— **खरीफ विपणन मौसम 2016 —17 के अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम (15.11.16 से 31.03.17) तथा सी0एम0 आर0 कार्यक्रम (15.11.16 से 31.07.17) के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम को कार्यशील पूँजी के रूप में विभिन्न बैंकों से लिए जाने वाले ऋण कुल 2,000.00 करोड़ रूपये (दो हजार करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

खरीफ विपणन मौसम 2016—17 अन्तर्गत राज्य में धान/चावल अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा धान अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा सीधे किसानो से धान का क्रय किया जाना है एवं अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर तैयार सी0एम0आर0 राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र से RTGS/NEFT के माध्यम से क्रय के पश्चात तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को धान बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।

2. मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 6556 दिनांक 15.11.2016 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2016—17 के अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए निर्गत कार्य योजना अनुसार राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.11.2016 से 31.03.2017 तक तथा सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति का कार्यक्रम दिनांक 15.11.2016 से 31.07.2017 तक प्रभावी रहेगा।

3. कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2016—17 अन्तर्गत राज्य में धान का उत्पादन लगभग 134 लाख मे0 टन होने की संभावना है। यद्यपि की भारत सरकार द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2016—17 के लिए 30 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु कृषि विभाग के अनुमानानुसार धान की अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य को लक्ष्य की अंतिम सीमा नही माना जाय एवं राज्य के किसानों से अधिक से अधिक निर्धारित सीमा अंतर्गत उनके द्वारा उत्पादित धान की अधिप्राप्ति की जाय।

5. निगम के निदेशक पर्षद की 148वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2016—17 हेतु किये जा रहे धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए क्रियाशील पूँजी के रूप में नौ: विभिन्न व्यावसायिक बैंकों क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा — 300 करोड़, केनरा बैंक — 300 करोड़, इंडियन बैंक — 300 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया — 300 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक —200 करोड़, ओरियनटल बैंक ऑफ कॉमर्स —200 करोड़, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया —100 करोड़, आन्ध्रा बैंक —200 करोड़ एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — 100 करोड़, कुल 2,000 करोड़ रूपये बेस रेट पर ऋण हेतु सरकार की बैंक गारंटी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

6. खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम को दिया जाने वाला कुल 2,000 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी की राशि मात्र धान अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ही मान्य होगा एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात उक्त राशि को संबंधित बैंको को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः राज्य खाद्य निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी 30.03.2018 तक ही प्रभावी होगा।

7. वित्त विभाग के परामर्शानुसार बिहार राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 320 दिनांक 12.01.2017 एवं पत्रांक 466 दिनांक 17.01.2017 द्वारा पूर्व में सरकार द्वारा लिये गये बैंक गारंटी तथा खरीफ विपणन मौसम, 2016–17 हेतु लिये जाने वाले 2000 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा उक्त प्रतिवेदनों के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में दिये गये कुल बैंक गारंटी 3200+2000=5,200 करोड़ के विरूद्ध कुल बकाये 1816.60+1660.22=3476.82 करोड रू0 की राशि माह जून, 2017 तक तथा खरीफ विपणन मौसम, 2016–17 हेतु लिये जाने वाले कुल बैंक गारंटी 2000 करोड के विरूद्ध मूल एवं सूद की राशि सहित माह जनवरी, 2018 तक सभी संबंधित व्यावसायिक बैंकों को वापस कर दिये जाने का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम पूर्व में लिये गये बैंक गारंटी की कुल बकाया 3476.82 करोड़ की राशि को माह जून, 2017 तक तथा खरीफ विपणन मौसम, 2016–17 अंतर्गत लिये जाने वाले प्रस्तावित कुल राशि 2000 करोड़ की मूल एवं सूद सहित राशि माह जनवरी, 2018 तक सभी व्यावसायिक बैंकों को वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

8. राज्य खाद्य निगम के निदेशक पर्षद की 148वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2016–17 हेतु प्राप्त ऋण की राशि को पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संघारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संघारित किया जायेगा।

9. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु नौ व्यावसायिक बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इण्डियन बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, कारपोरेशन बैंक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आन्ध्रा बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बेस रेट पर ऋण स्वरूप दिए जाने वाले कुल 2,000.00 करोड़ रूपये की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

17/2/17
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 735 खाद्य, पटना / दिनांक– 17-02-17
प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

17/2/17
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 735 खाद्य, पटना / दिनांक– 17-02-17
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/2/17
सरकार के सचिव ।

D:\Section 10 2012\Sec 4 KMS 12-13\Santosh.doc

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 735 खाद्य, पटना / दिनांक– 17-02-17
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/2/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 735 खाद्य, पटना / दिनांक– 17-02-17
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित निर्णय के यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

17/2/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 735 खाद्य, पटना / दिनांक– 17-02-17
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 15.02.2017 में मद संख्या–33** के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

17/2/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 735 खाद्य, पटना / दिनांक– 17-02-17
प्रतिलिपि – सचिव कोषाग / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/2/2017
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / विविध–31 / 15– 735 खाद्य, पटना / दिनांक– 17-02-17
प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

17/2/2017
सरकार के सचिव ।